

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 8 अ-82/2017-18 मौजा चौकी / 3019 बैतूल दिनांक 24-03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	चौकी	21.803	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल	प्रभुढाना लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	जुगराम व. जघु सा. देह भूमिस्वामी	69/2	1.660	1.560
2	काशीबाई पत्नी तानू सा. देह	70/1	0.792	0.400
3	तुकाराम, भरत व. लहन्या सा. देह	70/2	1.619	1.619
4	नारायण व. किसना गौली सा. देह भूमिस्वामी	71	0.530	0.530
		72	0.255	0.255
		74	0.348	0.348
5	भरत व. लहन्या गौली सा. देह भूमिस्वामी	75/2	2.434	2.434
6	तुकाराम, व. लहन्या गौली सा. देह भूमिस्वामि	75/3	2.434	2.434
7	पुन्नु व. सुकाली गौली सा. देह भूमिस्वामी	75/1	2.428	2.428
8	भंगी व. रोन् गोंड सा. देह भूमिस्वामि	76	1.193	1.193

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अजि रकबा हे.
1	2	3	4	5
9	फकीरा व. मन्नू कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	77/1	1.001	1.001
10	सुनीता पति रतन सेलूकर कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	77/3	1.012	1.012
11	उर्मिला पति रमेश सेलूकर कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	77/4	0.809	0.809
12	प्रेम व. भंगी गोंड सा. देह भूमिस्वामी	77/2	0.809	0.809
13	सानुर पिता शेख इब्राहिम जाति मुसलमान सा. देवगांव	78/5	0.093	0.093
		79/5	0.192	0.192
		81/5	0.041	0.041
		82/5	0.019	0.019
		92/5	0.227	0.200
14	शाहजहां पिता शेख इब्राहिम जाति मुसलमान सा. देवगांव	78/3	0.093	0.093
		79/3	0.162	0.162
		81/3	0.041	0.041
		82/3	0.018	0.018
15	कमरून पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/8	0.094	0.094
		79/8	0.192	0.192
		81/8	0.041	0.041
		82/8	0.018	0.018
		92/8	0.229	0.229
16	जैरून पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/7	0.093	0.093
		79/7	0.193	0.193
		81/7	0.041	0.041
		82/7	0.018	0.018
		92/7	0.227	0.227
17	तानुन पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/2	0.093	0.093
		79/2	0.025	0.025
		81/2	0.041	0.025
		82/2	0.018	0.018
18	तानुर पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/6	0.093	0.093
		79/6	0.930	0.930
		81/6	0.041	0.041
		82/6	0.018	0.018
		92/6	0.227	0.227

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
19	नूरजहां पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/4	0.093	0.093
		79/4	0.192	0.192
		81/4	0.041	0.041
		82/4	0.019	0.019
20	मो. मुश्ताक, मो. अशपाक पिता मो. मुनीफ, सफीया, जफिया, नफीसा, अलीसा, अजीजा, अंजुम पुत्रियां मो. मुनीफ	78/1	0.093	0.093
		79/1	0.192	0.192
		81/1	0.041	0.041
		82/1	0.018	0.018
21	झमलू राजा सा. देह भूमिस्वामि	80	1.311	0.200
22	बिरजू व. सोनू गौंड सा. देह भूमिस्वामी	83/2	0.809	0.607
कुल योग			23.651	21.803

1- चूंकि प्रभुदाना लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत समाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मू0क0 8 अ-82/वर्ष 17-18/3019

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन-कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ^{बैतूल} मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार ^{बैतूल} आदनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गांगई तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग